

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

सी.जी.-डी.एल.-अ.-06082024-256106
CG-DL-E-06082024-256106

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 2
PART I—Section 2

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 28| नई दिल्ली, मंगलवार, अगस्त 6, 2024/ श्रावण 15, 1946
No. 28| NEW DELHI, TUESDAY, AUGUST 6, 2024/ SHRAVANA 15, 1946

वस्त्र मंत्रालय

संकल्प

नई दिल्ली, 31 जुलाई, 2024

संख्या 46013/29/2015-स्था.—वस्त्र समिति नियमावली, 1965 के नियम 3 के साथ पठित वस्त्र समिति अधिनियम, 1963 (1963 का 41) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार, एतद्वारा अंतरिम उपाय के रूप में निम्नलिखित सदस्यों को संपूर्ण सदस्यों की समिति के गठन तक या अगले आदेशों तक तत्काल प्रभाव से वस्त्र समिति में नियुक्त करती है:-

क्रम सं.	वस्त्र समिति की संरचना	नियम
1.	अध्यक्ष - सचिव, वस्त्र मंत्रालय	नियम 3 (1) (क)
2.	उपाध्यक्ष - वस्त्र आयुक्त, मुंबई (पदेन)	नियम 3 (1) (ख)
3.	वस्त्र मंत्रालय में भारत सरकार के संयुक्त सचिव, पदेन वस्त्र समिति के प्रभारी- संयुक्त सचिव (प्रशासन),	नियम 3 (1) (ग)
4.	निदेशक / उप सचिव, आंतरिक वित्त, वस्त्र मंत्रालय, पदेन- निदेशक (आंतरिक वित्त विंग), वस्त्र मंत्रालय	नियम 3 (1) (घ)
5.	सचिव, वस्त्र समिति, पदेन	नियम 3(1) (ङ)
6.	अध्यक्ष, भारतीय वस्त्र उद्योग परिसंघ (पूर्व में भारतीय सूत मिल संघ)	नियम 3(1) (च)

क्रम सं.	वस्त्र समिति की संरचना	नियम
7.	अध्यक्ष, दक्षिण भारतीय मिल एसोसिएशन	नियम 3(1) (ज)
8.	अध्यक्ष, सूती वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद	नियम 3(1) (झ)
9.	अध्यक्ष, सिंथेटिक एवं रेयान वस्त्र प्रोत्साहन परिषद	नियम 3(1) (त्र)
10.	अध्यक्ष, वस्त्र मशीनरी निर्माता एसोसिएशन	नियम 3(1) (ट)
11.	महासचिव, भारतीय औद्योगिक परिसंघ	नियम 3 (1) (ठ)
12.	अध्यक्ष, परिधान निर्यात प्रोत्साहन परिषद	नियम 3 (1) (ड)
13.	अध्यक्ष, ऊन एवं ऊनी वस्त्र निर्यात प्रोत्साहन परिषद	नियम 3 (1) (ढ)
14.	अध्यक्ष, भारतीय कृत्रिम रेशम बुनाई उद्योग परिसंघ	नियम 3 (1) (ण)

2. नियम 3(1) (च), 3(1) (ज) से 3(1) (ण) के अंतर्गत नियुक्त जो सदस्य अपने पदों के फलस्वरूप उद्योग निकाय/संघ के सदस्य बने हैं, उन्हें उनके पदों का कार्यकाल समाप्त होते ही हटा दिया जाएगा तथा इस प्रकार उत्पन्न रिक्ति को उस कार्यालय में उनके उत्तराधिकारी द्वारा भरा गया मान लिया जाएगा।

राजीव सक्सेना, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF TEXTILES RESOLUTION

New Delhi, the 31st July, 2024

No. 46013/29/2015-Estt.—In exercise of the powers conferred by Section 3 of the Textiles Committee Act, 1963 (41 of 1963) read with Rule 3 of the Textiles Committee Rules, 1965, the Central Government hereby appoints the following members to Textiles Committee as an interim measure with immediate effect till composition of full members of Committee or until further orders:-

Sr. No.	Composition of Textiles Committee	Rule
1.	Chairman- Secretary, Ministry of Textiles	Rule 3 (1) (a)
2.	Vice Chairman - Textile Commissioner, Mumbai	Rule 3 (1) (b)
3.	Joint Secretary to the Government of India, In- charge of Textiles Committee- Joint Secretary (Admn.), Ministry of Textiles	Rule 3 (1) (c)
4.	Director / Deputy Secretary, Internal Finance, Ministry of Textiles, ex-officio.- Director (IFW), Ministry of Textiles	Rule 3 (1) (d)
5.	Secretary, Textiles Committee, ex-officio	Rule 3 (1) (e)
6.	Chairman, Confederation of Indian Textile Industry (formerly Indian Cotton Mills Federation)	Rule 3 (1) (f)
7.	Chairman, Southern Indian Mills Association	Rule 3 (1) (h)
8.	Chairman, Cotton Textiles Export Promotion Council	Rule 3 (1) (i)
9.	Chairman, Synthetic and Rayon Textile Export Promotion Council	Rule 3 (1) (j)
10.	President, Textile Machinery Manufacturers Association	Rule 3 (1) (k)
11.	Secretary General, Confederation of Indian Industry	Rule 3 (1) (l)
12.	Chairman, Apparel Export Promotion Council	Rule 3 (1) (m)

Sr. No.	Composition of Textiles Committee	Rule
13.	Chairman, Wool & Woollens Export Promotion Council	Rule 3 (1) (n)
14.	President, Federation of Indian Art Silk Weaving Industry	Rule 3 (1) (o)

2. The members appointed under Rule 3(1) (f), 3(1) (h) to 3(1) (o) by virtue of their posts as Chairman, President etc. of the Industry Bodies/ Associations shall terminate as and when he or she ceases to hold that office and the vacancy so caused shall be deemed to have been filled up by his / her successor to that office.

RAJEEV SAXENA, Jt. Secy.